सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः-353/प्रेसनोट/2020 **दिनांकः- 10 सितम्बर 2020**

प्रेस विज्ञप्ति

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवैध शस्त्र की बरामदगी एव गिरफ्तारी के निर्देश के क्रम में अभियान को सफल बनाने हेतु दिनांक 09.09.2020 को जनपद के विभिन्न थानो द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत 03 अदद अवैध तमंचा,04 अदद जिन्दा कारतूस की बरामदगी करते हुए 03 अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। थानो द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न है।

थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित/इनानिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन मे आज दिनांक 10.09.2020 को उ0नि0 अखिलेश चन्द पाण्डेय मय हमराह का0 प्रमोद यादव व का0 दीपू शर्मा द्वारा अभियान के दृष्टिगत अवैध शराब व अवैध शस्त्र की बरामदगी /गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे मामूर थे कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम चितारा महमूदपुर से प्राचीन शिव मन्दिर चितारा होते हुए चितारा महमूदपुर सडक पर आने वाला है जिसके पास अवैध असलहा है जो कोई आपराधिक घटना करने की फिराक मे है। इस सूचना पर पुलिस बल प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुचे कुछ ही देर में एक व्यक्ति गाँव की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया कि जैसे ही वह व्यक्ति ईदगाह के आगे प्राचीन शिव मंदिर के पास पहुंचा कि पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर उक्त व्यक्ति को एक कदद अवैध तमंचा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ समय 06:15 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम हामिद उर्फ गामा पुत्र हुबदार निवासी ग्राम चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-150/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

हामिद उर्फ गामा पुत्र हुबदार निवासी ग्राम चितारा महमूदपुर थाना दीदारगंज, आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 150/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 150/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 896/10 धारा 419,420,467,468,471,504,506 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 255/03 धारा 323,504,506,308 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद तमंचा नाजायज .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतुस .315 बोर बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

इसी क्रम में दिनांक 09.09.20 को उ0नि0 कमलाशंकर गिरी मय हमराहियान द्वारा वांछित अभियुक्तो का तलाश एव संदिग्ध व्यक्तियों/बाहनो की चेकिंग करते हुए बिलारमऊ बार्डर जनपद जौनपुर की पुलिया पर पहुचे जहाँ पहले से हे0का0 दाराशंकर यादव,का0 दिपक मौर्या ,का0 अभिनन्दन कुमार उपस्थित थे उसी समय अम्बारी के तरफ से एक नवयुवक लडका पैदल शाहगंज की ओर जा रहा था। सडक की पुलिया के पास उपस्थित पुलिस बल को देखकर वह पीछे मुडकर

भागना चाहा कि सन्देह होने पर पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय लगभग 20.30 बजे एक अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। नाम व पता पुछने पर उसने अपना नाम शशिकान्त यादव उर्फ सन्नु पुत्र ब्रह्मदेव यादव निवासी ग्राम विशेखा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ बताया। उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 224/20धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 पर पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

शशिकान्त यादव उर्फ सन्नु पुत्र ब्रह्मदेव यादव उम्र 22 वर्ष ग्रामविशेखा थाना फूलपुर आजमगढ।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 224/20धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना फूलपुर, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 411/15 धारा 147,148,149,323,504,506,427 भादवि थाना फूलपुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 69/16 धारा 147,148,149,352,504 भादवि थाना फूलपुर, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 224/20धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर , आजमगढ़।

बरामदगी

एक अवैध देशी तमंचा 12 वोरा दो अदद जिन्दा कार0 12 वोर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 कमलाशंकर गिरी थाना फूलपुर, आजमगढ़
2. हे0का0 दाराशंकर यादव थाना फूलपुर , आजमगढ़
3. का0 दिपक मौर्या थाना फूलपुर , आजमगढ़
4. का0 अभिनन्दन कुमार थाना फूलपुर , आजमगढ़
5. का0 नीरज कुमार थाना फूलपुर , आजमगढ़
6. का0 उत्तम थाना फूलपुर , आजमगढ़

थाना-देवगांव

अवैध तमंचा कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

इसी क्रम में दिनांक 09.09.2020 को प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगांव ,उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह को मुखविर द्वारा सूचना मिली की एक व्यक्ति बुढ़ऊ बाबा से गड़ौली जाने वाली नहर पुलिया पर बैठा है । उसके पास अवैध असलहा है जो किसी को बेचने की फिराक मे है । इस सूचना पर उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह के तत्काल मौके पर पहुँचकर समय 23.05 बजे बजे गड़ौली पुलिया से गिरफ्तार किया गया । मौके पर तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से एक अदद नाजायज कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कार तूस 315 बोर बरामद हुआ। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

दिलीप सिंह उर्फ खुरचन पुत्र स्व0 देव नरायन सिंह निवासी संवेदा थाना सिधारी आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 202/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना देवगाँव आजमगढ

बरामदगी

एक अदद नाजायज कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम

प्र.नि. संजय कुमार सिंह थाना देवगाँव मय हमराह जनपद आजमगढ़
उ.नि. अभिषेक सिंह थाना देवगाँव मय हमराह आजमगढ़